न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 77/2021 बउनवानी टीकाराम मीना बनाम लो.सू.अधि.एवं मुख्य कार्यकारी अधि.जि0प0,स0म
आरटीआई कार्यकर्ता , पूर्व सरपंच, ग्रा.प. रामडी निवासी खेडली कलां तह0 सवाईमाधोपुर

GCMS No-2021/240

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज
12.10.2021	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित हुआ। लोक सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद का प्रतिनिधि उपस्थित। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने हेतु दिनांक 16.7.2021 को लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित निम्नांकित सूचनाऐं उपलब्ध कराये जाने हेतु निवेदन किया गयाः–

1. यह है कि कार्यालय मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर में कार्यरत मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पी.ए. श्री सत्यनारायण माहूर द्वारा आज से गत तीन वर्षो तक का लगातार प्रतिमाह यात्रा भत्ता/टी.ए. बिल मुख्य कार्यकारी अधिकारी के साथ सरकारी गाडी मे जिलें में भ्रमण बता कर जो यात्रा बिल का भुगतान उठाया जा चुका है जिसे संबंधित विभाग के जितने भी अधिकारी/कर्मचारीयों के द्वारा उक्त उठाये गये यात्रा भत्ता की राशि सहित जो दस्तावेज प्रमाणित कर के उक्त राशि को सत्यनारायण माहूर के नाम दिलवायी जा चुकी है इससे संबंधित प्रमाणित सूचना आज से गत तीन वर्षो की लगातार टी.ए. से संबंधित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करवायी जावे।
2. यह है कि यात्रा भत्ता से संबंधित जो टी.ए. बिल उठाने के दौरान जिलें मे जो भ्रमण का समय व दिनांक अंकित है उस दिन की गत तीन वर्षो का श्री सत्यनारायण माहुर के मोबाईल नम्बर की कॉल डिटेल की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।
3. यह है कि सत्यनारायण माहुर जो कि स्टेनो के पद से पी.ए. का कार्य करने के लिए अधिकृत है इसके अलावा राज्य सरकार की ओर से उक्त पद से संबंधित कर्मचारी को राजस्थान पंचायत राज की ओर से जिले में भ्रमण/निरीक्षण करने का और उससे संबंधित यात्रा भत्ता/टी.ए. बिल उठाने से संबंधित किसी भी प्रकार का कोई आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद के नाम जारी हुआ हो तो उस आदेश की पत्र एवं दिनांक सहित प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।
4. यह है कि उक्त कर्मचारी को जिलें मे भ्रमण/निरीक्षण करने से संबंधित कार्यालय के अलावा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से किसी भी प्रकार का आज से गत तीन वर्षो के दौरान कोई आदेश जारी किया गया है तो उस आदेश की प्रमाणित सूचना उपलब्ध करावे।
5. यह है कि उक्त कर्मचारी द्वारा आज से गत तीन वर्षो के दौरान जो. टी.ए. बिल की राशि सी.ओ. के साथ जिलें का भ्रमण/निरीक्षण बताकर सरकारी गाडी से दौरा दिखा कर जो राशि प्राप्त की जा चुकी है वो गत तीन वर्षो से आज तक कितनी राशि प्रतिमाह उठायी जा चुकी है। उससे संबंधित सूचना उपलब्ध करावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में उल्लेखित सूचना, लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा अपीलान्ट को अन्दर मियाद उपलब्ध नही कराये जाने के कारण उक्त अधिनियम की धारा [illegible] के तहत प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर संबंधित लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद [illegible] उपलब्ध कराने हेतु आदेशित किया गया साथ ही सम्बन्धित उभयपक्षो को सुनवाई [illegible] जरिये नोटिस किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.29 19:16:07 IST
Reason: SelfAttested

नियत पेशी पर अपीलान्ट उपस्थित हुआ तथा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर अवगत कराया कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलान्ट को उक्त अपील से संबंधित कोई सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है। अपने जवाब मे प्रभारी अधिकारी समाधान प्रकोष्ठ को भिजवाये गये जवाब की प्रति भिजवायी गयी है जिसका उक्त अपील मे चाही गयी सूचना से कोई संबंध नही है। अतः चाही गयी सूचना उपलब्ध करवाने बाबत अपीलान्ट द्वारा निवेदन किया गया।

दौराने सुनवायी उपस्थित प्रतिनिधि ने लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर की ओर से प्रस्तुत जवाब नोटिस क्रमांक/जिप/2021/755 दिनांक 1.10.2021 की ओर ध्यान आकर्षित कर कथन किया कि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 16.7.2021 के बिन्दु संख्या 1 लगायत 5 में चाही गयी सूचना अपीलान्ट को जरिये पत्रांक 756 दिनांक 1.10.2021 से भिजवायी जा चुकी है इसलिए अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने बाबत प्रतिनिधि जिला परिषद सवाईमाधोपुर द्वारा निवेदन किया गया।

जिला परिषद के प्रतिनिध द्वारा किये गये कथन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ, कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 16.7.2021 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर के पत्रांक 754 दिनांक 1.10.2021 द्वारा अपीलान्ट को भिजवायी गयी सूचना मे सम्मिलित नही है। अर्थात अपीलान्ट को उक्त पत्र के माध्यम से भिजवायी गयी सूचना उसके द्वारा चाही गयी सूचना से भिन्न है। यद्यपि अपीलान्ट द्वारा चाही गयी सूचना प्रश्नात्मक है एवं पूर्ण विवरण अंकित नही है किन्तु चाही गयी सूचना सामान्य प्रकृति की होने के कारण अपीलान्ट को उपलब्ध करवाया जाना उचित समझता हूँ। अतः लोक सूचना अधिकारी एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद सवाईमाधोपुर को निर्देशित किया जाता है कि कार्मिक सत्यनारायण माहुर को जिलें के भ्रमण हेतु आपके कार्यालय द्वारा जारी आदेशो की एवं उसके द्वारा उक्त आदेश की पालना मे किये गये भ्रमणों की एवज उठाये गये टी.ए.बिलों की प्रमाणित सूचना अपीलान्ट को 15 दिवस में नियमानुसार उपलब्ध करवायी जावे। तथा बिन्दु संख्या 2 की सूचना दिया जाना सम्भव नही है। उक्त निर्देश के साथ अपील अपीलान्ट का निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आदेश खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(राजेन्द्र किशन)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajendra Kishan
Date: 2021.10.29 19:16:07 IST
Reason: SelfAttested